

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 2751 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री ललित कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जोधपुर से मुख्य अभियंता.भू-जल विभाग.जोधपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री ललित कुमार द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री ललित कुमार को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री ललित कुमार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री ललित कुमार नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री ललित कुमार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 2751 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

प्रतिलिपि:-

- 1 कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जोधपुर।
- 2 मुख्य अभियंता.भू-जल विभाग.जोधपुर।
- 3 श्री ललित कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जोधपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9428 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण बाल विकास परियोजना अधिकारी (ग्रामीण).समेकित बाल विकास सेवाएं .धौलपुर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ).पंचायती राज विभाग.करौली में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9428 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 बाल विकास परियोजना अधिकारी (ग्रामीण).समेकित बाल विकास सेवाएं .धौलपुर।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ).पंचायती राज विभाग.करौली।
- 3 श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी (ग्रामीण).समेकित बाल विकास सेवाएं .धौलपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कामिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5788 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुभाष रांकावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण अधीक्षण अभियंता.राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम.जोधपुर से निदेशक.तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग.जोधपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुभाष रांकावत द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सुभाष रांकावत को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुभाष रांकावत को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुभाष रांकावत नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुभाष रांकावत को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5788 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 अधीक्षण अभियंता.राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम.जोधपुर।
- 2 निदेशक.तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग.जोधपुर।
- 3 श्री सुभाष रांकावत , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय अधीक्षण अभियंता.राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम.जोधपुर ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5963 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मोहम्मद सदीक पठान, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.सुमेरपुर से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक).सुमेरपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहम्मद सदीक पठान द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मोहम्मद सदीक पठान को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मोहम्मद सदीक पठान को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मोहम्मद सदीक पठान नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मोहम्मद सदीक पठान को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5963 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.सुमेरपुर।
- 2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक).सुमेरपुर।
- 3 श्री मोहम्मद सदीक पठान , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.सुमेरपुर ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9524 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री चन्द्रशेखर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण विकास अधिकारी. पंचायत समिति.पंचायती राज विभाग.प्रतापगढ़ से बाल विकास परियोजना अधिकारी.समेकित बाल विकास सेवाएं .प्रतापगढ़ में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चन्द्रशेखर शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री चन्द्रशेखर शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री चन्द्रशेखर शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री चन्द्रशेखर शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री चन्द्रशेखर शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9524 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 विकास अधिकारी. पंचायत समिति.पंचायती राज विभाग.प्रतापगढ़।
- 2 बाल विकास परियोजना अधिकारी.समेकित बाल विकास सेवाएं .प्रतापगढ़।
- 3 श्री चन्द्रशेखर शर्मा , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय विकास अधिकारी. पंचायत समिति.पंचायती राज विभाग.प्रतापगढ़ ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

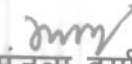
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9494 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण जिला कलक्टर.राजस्व विभाग.प्रतापगढ़ से विकास अधिकारी. पंचायत समिति.पंचायती राज विभाग.प्रतापगढ़ में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुरेन्द्र कुमार जैन द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सुरेन्द्र कुमार जैन को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुरेन्द्र कुमार जैन को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुरेन्द्र कुमार जैन नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुरेन्द्र कुमार जैन को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9494 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कलक्टर.राजस्व विभाग.प्रतापगढ़।
- 2 विकास अधिकारी. पंचायत समिति.पंचायती राज विभाग.प्रतापगढ़।
- 3 श्री सुरेन्द्र कुमार जैन , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय जिला कलक्टर.राजस्व विभाग.प्रतापगढ़ ।


(अरविन्द धानु)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9484 /अलेसे-11 2592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री निमेश राठौड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण पंचायत समिति. सलूमबर. उदयपुर से प्राचार्य. राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय. राजसमन्द में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री निमेश राठौड़ द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री निमेश राठौड़ को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

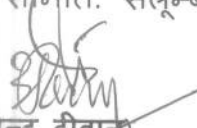
श्री निमेश राठौड़ को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री निमेश राठौड़ नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री निमेश राठौड़ को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9484 /अलेसे-11 2592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 पंचायत समिति. सलूमबर. उदयपुर।
- 2 प्राचार्य. राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय. राजसमन्द।
- 3 श्री निमेश राठौड़ , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय पंचायत समिति. सलूमबर. उदयपुर ।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 2581 /अलेसे-11 2592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री हेतराम ढालिया , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.श्रीगंगानगर से अध्यक्ष. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच.खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग. श्रीगंगानगर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हेतराम ढालिया द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री हेतराम ढालिया को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री हेतराम ढालिया को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री हेतराम ढालिया नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री हेतराम ढालिया को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 2581 /अलेसे-11 2592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.श्रीगंगानगर।
- 2 अध्यक्ष. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच.खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग. श्रीगंगानगर।
- 3 श्री हेतराम ढालिया , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.श्रीगंगानगर ।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5958 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ).पंचायती राज विभाग.श्रीगंगानगर से कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.श्रीगंगानगर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुभाष चन्द्र द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सुभाष चन्द्र को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुभाष चन्द्र को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुभाष चन्द्र नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुभाष चन्द्र को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5958 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ).पंचायती राज विभाग.श्रीगंगानगर।
- 2 कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.श्रीगंगानगर।
- 3 श्री सुभाष चन्द्र , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ).पंचायती राज विभाग.श्रीगंगानगर ।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कामिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9489 /अलेसे-112592-2617 दिनांक: 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री नीतिन शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय.शिक्षा विभाग (उच्च).राजसमंद से खनि अभियंता (प्रथम).खान एवं भू-विज्ञान विभाग.राजसमंद में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नीतिन शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री नीतिन शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री नीतिन शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018** **मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री नीतिन शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री नीतिन शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

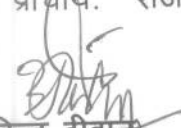
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9489 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

1 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय.शिक्षा विभाग (उच्च).राजसमंद।

2 खनि अभियंता (प्रथम).खान एवं भू-विज्ञान विभाग.राजसमंद।

3 श्री नीतिन शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय.शिक्षा विभाग (उच्च).राजसमंद।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

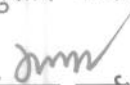
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 8472 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.17

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कैलाश चन्द पाण्डया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण आयुक्त.आबकारी विभाग.उदयपुर से कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.उदयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कैलाश चन्द पाण्डयाद्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री कैलाश चन्द पाण्डया को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री कैलाश चन्द पाण्डया को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कैलाश चन्द पाण्डया नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री कैलाश चन्द पाण्डया को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

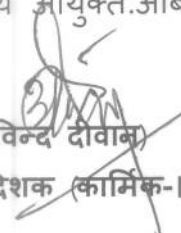
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 8472 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

1 आयुक्त.आबकारी विभाग.उदयपुर।

2 कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.उदयपुर।

3 श्री कैलाश चन्द पाण्डया , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय आयुक्त.आबकारी विभाग.उदयपुर ।


(अरविन्द दाबि)

अतिरिक्त निदेशक (कर्मिक-11)